



उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18-ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज-211 001

उ०शि०आयोग/सी-759/144/2019-20

दिनांक : 24 फरवरी, 2020

टेण्डर निरस्तीकरण

आयोग की बैठक संख्या-1073 दिनांक 06.11.2019 के प्रस्तर-1073.4 में लिये गये निर्णय तथा निविदा-दाताओं द्वारा अपने ड्राफ्ट वापस किये जाने की माँग को देखते हुए सम्बन्धित प्रकरण पर आयोग ने अपनी बैठक संख्या-1081 दिनांक 04.01.2020 के प्रस्तर-1081.8 पर विचार किया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि टेण्डरदाताओं से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट उन्हें वापस कर दिया जाय।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग की बैठक संख्या-1088 दिनांक 19.02.2020 के प्रस्तर-1088.3 में लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 15.07.2019 द्वारा आमंत्रित टेण्डर एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और निविदा-दाताओं से प्राप्त ड्राफ्ट उन्हें वापस किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

सचिव

उ०शि० आयोग

(वन्दना त्रिपाठी)
सचिव